

कृपया

शुभार गौरीशंकर सिन्हा
वि.के. निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
तेन्दुल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी, सुपेरान,
शिक्षा केन्द्र-2, कबू निटी तेन्दुल,
प्रति बिहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 22 मई 2002

विषय: - निजी विद्यालयों को तेन्दुल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी सुपेरान, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बतला है कि बिहार सरकार, तेकेन्डी, प्राथमिक स्तरीय शिक्षा विभाग को निर्धारित विद्यालयों को तेन्दुल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी सुपेरान, नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त के साथ ही में कोई अनापत्ति नहीं है कि विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं के अनुमान्य वेतनमान से भत्ता का अनुमान सुनिश्चित किया जाए।

क्रमिक विद्यालय का नाम-

1. इन्दुरीत-डॉ०एच०बी०-प्राथमिक स्कूल, मोतिहारी, पूर्वी बंगाल।
2. संत पॉल स्कूल सिक्स साइन्स, जी०टी० रोड, ताताराम
3. श्री रात्री तरफती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, फारमिगन, उरिया
4. आर०ए०सी० इंटरनेशनल स्कूल बुकिंग टाउन, बोधगंगा, राबनीर, गंग, रोड वजीरगंज, गया
5. संत जोसेफ स्कूल, नवादा

इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विवातम्भजन,
ह०

शुभार गौरीशंकर सिन्हा
वि.के. निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा।

आपांक 251 पटना, दिनांक 22 मई 2002

प्रतिलिपि सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशांक/सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ स्वी आभार्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. औद्योगिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिका कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

 22/5/02